दस्तावेज ट्रस्ट / न्यास पत्र

हम कि डॉ0 रमेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री समरपति सिंह ग्राम व पोस्ट शेरवाँ जिला जौनपुर उ0 प्र0 द्वारा ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी/मुख्यन्यासी है जो दिनांक 14.08.2023 को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्र प्रेम प्रर्यावरण सुरक्षा आध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा, शैक्षिक जागरूकता शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, गरीबो के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगो का उत्थान करने में विषेश रूचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते है। मैं डॉ0 रमेन्द्र प्रताप सिंह मुख्य संस्थापक ट्रस्टी श्री समरपति सिंह फाउण्डेंशन न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ।

डॉ० रमेन्द्र प्रताप सिंह

ट्रस्ट का नाम व पता निम्नवत् है–

ट्रस्ट (न्यास) का नाम	–	श्री समरपति सिंह फाउण्डेशन न्यास।
ट्रस्ट का पता	–	ग्राम शेरवाँ
	–	पोस्ट – शेरवाँ
	–	थाना – सिकरारा
	–	तहसील – सदर
	–	जिला – जौनपुर (उ0 प्र0)

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किए हैं।

1. डॉ0 रमेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री समरपति सिंह, ग्राम व पोस्ट शेरवाँ जिला जौनपुर।
2. श्रीमती चंचल सिंह पत्नी श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ग्राम व पोस्ट शेरवाँ जिला जौनपुर।
3. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री समरपति सिंह ग्राम व पोस्ट शेरवाँ जिला जौनपुर।
4. श्रीमती डॉ0 अंजना सिंह पत्नी श्री रमेंन्द्र प्रताप सिंह ग्राम व पोस्ट शेरवाँ जिला जौनपुर।
5. श्री धमेंन्द्र प्रताप सिंह श्री समरपति सिंह ग्राम व पोस्ट शेरवाँ जिला जौनपुर।
6. श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री धमेंन्द्र प्रताप सिंह ग्राम व पोस्ट शेरवाँ जिला जौनपुर।

डॉ0 रमेन्द्र प्रताप सिंह

न्यास पत्र

बही स०: 4 **रजिस्ट्रेशन स०: 117** **वर्ष: 2024**

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री डा0 रमेन्द्र प्रताप सिंह ,
पुत्र श्री समरपति सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: निवासी शेरवाँ पोस्ट शेरवाँ त0 सदर जौनपुर

डॉ० रमेन्द्र प्रताप सिंह

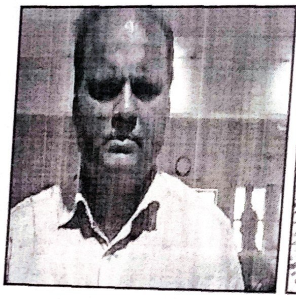

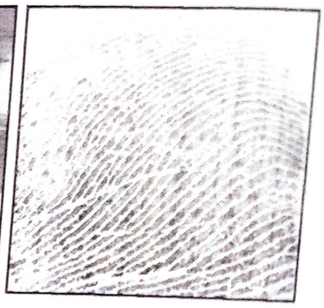

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 20/06/2024 एवं 11:53:04 AM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0 के0 पाण्डेय
उप निबंधक :सदर
जौनपुर
20/06/2024

देवेन्द्र सिंह भदौरिया
निबंधक लिपिक
20/06/2024

प्रिंट करें

न्यास उपरोक्त का गठन मुख्य रूप से लोक संग्रह के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें बहुमुखी शिक्षण संस्थान व विभिन्न आयाम निहित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकृति के साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सकीय, शोषित वर्ग के कल्याणार्थ निःशुल्क आयाम निहित हैं तथा इसके साथ ही ग्रामीण अंचल व अन्यत्र निःशुल्क व सशुल्क यथा अपेक्षा चिकित्सालय स्थापना एवम् देश व समाज की यथासमय अपेक्षित अन्य सेवायें निहित है। पर्यावरण सुरक्षित व संरक्षित रखने के उद्देश्य से उस दिशा में न्यास के माध्यम से वृक्षारोपण, पर्यावरण व प्रकृति संसाधनों के संरक्षण के साथ ही महापुरूषों, महान सन्तों, शहीदो के स्मारकों के उचित संरक्षण निर्माण सम्बन्धी सहयोग आदि अभिप्रेत हैं। कृषि व ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, युवा महिला एवं बाल विकास के साथ मेधावी निर्बल वर्ग के छात्रों के अध्ययन के निमित्त निःशुल्क सेवायें व उनकी आर्थिक सहायता आदि उक्त न्यास के उद्देश्यों में निहित है। न्यास के माध्यम से युवाओं व युवतियों में राष्ट्रधर्म, चरित्र निर्माण व उनके बहुमुखी विकास के उद्देश्य भी समहित हैं। निःशक्तों के अन्दर आत्मविश्वास को जागृत करना तथा उनकी न्यास द्वारा यथाशक्ति आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति न्यास के उद्देश्यों के अन्तर्गत निहित है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के निमित न्यास उपरोक्त अपने विभिन्न श्रोतो से प्राप्त धन एवं जन सहयोग से प्राप्त धन का उपयोग न्यास का एक कोष/निधि कायम/स्थापित किसी राष्ट्रीय बैंक में करेगी और न्यास उपरोक्त को वैध रूप से संचाालित व प्रवर्तित करने हेतु उसका आय कर विभाग में पंजीयन कराने के उपरान्त उपरोक्त लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रवर्तित व क्रियान्वित करेगी।

डॉ० रमेन्द्र प्रताप सिंह

आवेदन सं०: 202400984007944

बही सं०: 4 | रजिस्ट्रेशन सं०: 117 | वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री डा0 रमेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री समरपति सिंह

निवासी: निवासी शेरवाँ पोस्ट शेरवाँ त0 सदर जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

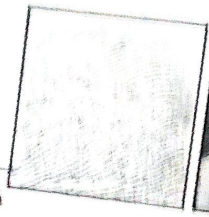

डॉ० रमेन्द्र प्रतापसिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री चंद्रमणि चौहान , पुत्र श्री सत्यदेव चौहान

निवासी: निवासी रामरायपट्टी शिवापार सदर जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

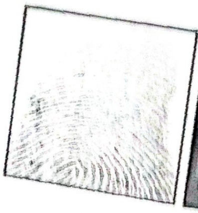

पहचानकर्ता : 2

श्री राजेन्द्र यादव , पुत्र श्री लल्लन

निवासी: निवासी रामरायपट्टी शिवापार सदर जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

राजेन्द्र यादव

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

एस0 के0 पाण्डेय
उप निबंधक : सदर
जौनपुर
20/06/2024

देवेन्द्र सिंह भदौरिया
निबंधक लिपिक जौनपुर
20/06/2024

प्रिंट करें

न्यास उपरोक्त की सम्पत्तियों का उपयोग न्यास के कार्यक्रमों के निमित्त ही केन्द्रित है, जिसका लेखा–जोखा, रख–रखाव न्यासीगण परस्पर सहमति से किसी एक न्यासी को नामित कर उसके माध्यम से संस्थापक न्यासी/मुख्य न्यासी के अधिकार पत्र के अन्तर्गत अपने न्यास सम्बन्धी लेखा जोखा का कार्य करेंगे तथा उसके उत्तरदायी होंगे।

न्यासियों की संख्या की वृद्धि संस्थापक न्यासी ही करेगा और यदि न्यास उपरोक्त के संस्थापक न्यासी किन्ही कारणों से अपने न्यास सम्बन्धी क्रिया–कलाप करने में अपने को अक्षम पाता है या अपने जीवन काल में यह आवश्यक समझता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह न्यास के कार्य संचाालन के निमित्त अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है और यह अधिकार संस्थापक न्यासी/मुख्य न्यासी के रूप में मुख्य न्यासी/संस्थापक न्यासी द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी में निहित होगा।

न्यासी की सदस्यता का अधिकार संस्थापक न्यासी या उसके द्वारा नियुक्त न्यासी में ही होगां।

कोई भी न्यासी न्यास उपरोक्त के उद्देश्यों के प्रतिकूल आचरण व कृत्य करता है तो उसे पदमुक्त किये जाने या उसे हटाये जाने का अधिकार संस्थापक न्यासी या उसके द्वारा नियुक्त न्यासी में होगा। संस्थापक/मुख्य न्यासी न्यास के दैनिक संचालन की लिखा पढ़ी व अन्य विधि कार्य के लिये किसी भी न्यासी को नामित कर उसके माध्यम से दैनिक कार्य व्यवहार करने कराने का अधिकार प्रदान करेगा और यथा आवश्यकता मुख्य न्यासी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह यथा आवश्यकता उसमें परिवर्तन कर सकता है।

डॉ० रमेन्द्र प्रताप सिंह

न्यास की बैठक किसी कार्य योजना के निमित्त त्रैमासिक होगी। उसमें सभी न्यासियों की उपस्थिति आवश्यक होगी तथा यदि किन्ही कारणों से बैठक के लिए गणपूर्ति कुल न्यासियों की संख्या के 2/3 की संख्या से मान्य होगी।

न्यास की संख्या वृद्धि तथा किन्ही कारणों से त्याग पत्र देने पर उसकी स्वीकृत का अधिकार तथा उसके स्थान पर किसी अन्य को न्यासी स्वीकृत करने का भी अधिकार संस्थापक न्यासी/मुख्य न्यासी जो न्यास का अध्यक्ष होगा या उसके अपने जीवन काल मे या किसी अन्य अपरिहार्य कारणों से कार्य सम्पादन अक्षमता पर उसके द्वारा नियुक्त न्यासी मे ही निहित होगा।

न्यास उपरोक्त का वार्षिक सम्मेलन न्यास स्थापना के दिन नियत होगा जिसमें न्यास द्वारा सम्पादित कार्यक्रम उपरोक्त व उसके आधार पर प्रस्ताविक कार्यक्रमों पर निर्धारण पर विचार व भावी रूप–रेखा सुनिश्चित की जायेगी।

न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त उसके कार्यक्रमों की कार्यवृत्ति व कार्यक्रमों की रूप–रेखा तत्समय की अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए उसे सुनिश्चित करने का अधिकार न्यास को होगा और न्यास उसका सम्पादन करने के निमित्त न्यास के नियमों का निर्धारण देश की विधियों व नियमों व निर्देशों के अन्तर्गत करते हुए कार्य योजना का निर्धारण कर सकती है।

यदि इस न्यास के तहत विद्यालयो का संचालन होता है। तो उक्त के अलावा निम्न शर्तें भी लागू होगी।

प्रतिबन्धों की बाध्यता :

डा० रुद्र प्रताप सिंह

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

(ग) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद /बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बध्दता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन , नई दिल्ली/काउसिंल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बध्दता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ड़) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध करायें जायेगें।

डॉ० रमेन्द्र प्रताप सिंह

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ञ) उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नही दिया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त क्रम क से ज तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

मुख्य न्यासी/न्यासीगण का कोई स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की रिक्ति की पूर्ति उनके उत्तराधिकारियों द्वारा की जायेगी।

डॉ० महेन्द्र प्रताप सिंह

श्री समरपति सिंह फाउण्डेशन न्यास। के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से 10000 (दस हजार रूपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

यह न्यास विलेख आज दिनांक 14.08.2023 को निर्मित व निष्पादित किया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

वर्तमान समय में इस ट्रस्ट के पास कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है।

उपरोक्त दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास) पत्र जो पूर्व में उपनिबंधक कार्यालय सदर जौनपुर बहि संख्या 4 जिल्द सं0 196 के पृष्ठ संख्या 199 से 216 तक क्रमांक 197 पर दिनांक 14/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत हुआ है। जिसमें उपरोक्त संशोधन किया जा रहा है

डॉ० रमेन्द्र प्रताप सिंह

आवेदन सं०: 202400984007944

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 205 के पृष्ठ 359 से 378 तक क्रमांक 117 पर दिनाँक 20/06/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0 के0 पाण्डेय
उप निबंधक : सदर
जौनपुर
20/06/2024

प्रिंट करें